

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़  
जिला-मुरैना

प्र० क्र० / 65 / 17-18 / अ-82 / भू-अर्जन / उ०म०रे०

मुरैना दिनांक 29 / 06 / 2020

// सूचना-पत्र //  
(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अन्तर्गत)

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

नरोत्तम प्रसाद विशम्भर दयाल पुत्रगण देवीलाल आदि।

ग्राम- स्यावटा तहसील कैलारस व जिला मुरैना

द्वारा:- तहसीलदार परगना कैलारस जिला मुरैना

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम स्यावटा तहसील कैलारस जिला मुरैना में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अषासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेलवे लाईन से बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आषय है अतः भू-अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबधित सर्वे क्रमांक के संबध में अपना हित, प्रतिकर के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकर मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक 30.07.2020 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिषासक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा मुरैना/उप मुख्य इन्जीनियर निर्माण उ०म० रेलवे ग्वालियर में

अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 30.07.2020 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र. सं.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है. मे		
			सिंचित	असिंचित	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त- /पटवारी हल्का- /ग्राम- स्यावटा /तहसील कैलारस जिला मुरैना				
1		20	0.022	निरंक	कृषि
2		27/5	0.029	निरंक	कृषि
3		27/7	0.031	निरंक	कृषि
4		28/5	0.022	निरंक	कृषि
5		33 मि.1	0.031	निरंक	कृषि
6		33 मि.2		निरंक	कृषि
7		34/1 मि.1	0.013	निरंक	कृषि
8		34/1 मि.2		निरंक	कृषि
9		34/1 मि.3		निरंक	कृषि
10		34/2		निरंक	कृषि
11		35	0.082	निरंक	कृषि
12		40/2	0.022	निरंक	कृषि
13		40/3	0.015	निरंक	कृषि
14		46/2 /2	0.045	निरंक	कृषि
15		46/4	0.007	निरंक	कृषि
16		47	0.009	निरंक	कृषि
17		59	0.016	निरंक	कृषि
18		60/1	0.014	निरंक	कृषि

19		60 / 2	0.009	निरंक	कृशि
20		61 / 1	0.015	निरंक	कृशि
21		61 / 2	0.018	निरंक	कृशि
22		63 / 1	0.021	निरंक	कृशि
23		63 / 2	0.022	निरंक	कृशि
24		63 / 3	0.022	निरंक	कृशि
25		64 / 1	0.006	निरंक	कृशि
26		64 / 3	0.007	निरंक	कृशि
27		64 / 4	0.008	निरंक	कृशि
28		65	0.016	निरंक	कृशि
29		66	0.025	निरंक	कृशि
30		68	0.074	निरंक	कृशि
31		70 / 1	0.005	निरंक	कृशि
32		70 / 5	0.006	निरंक	कृशि
33		70 / 6	0.005	निरंक	कृशि
34		70 / 7	0.013	निरंक	कृशि
35		70 / 8	0.003	निरंक	कृशि
36		70 / 9	0.012	निरंक	कृशि
37		70 / 10	0.006	निरंक	कृशि
38		70 / 11	0.007	निरंक	कृशि
39		70 / 12	0.006	निरंक	कृशि
40		70 / 14	0.006	निरंक	कृशि

41					
42		70 / 16	0.003	निरंक	कृशि
43		70 / 17	0.003	निरंक	कृशि
44		72 / 3	0.006	निरंक	कृशि
				निरंक	कृशि
	योग	73	0.007		
			0.689		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकमण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथम से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 29.06.2020 को जारी किया गया।

स्थान : सबलगढ़

अनुविभागीय अधिकारी  
एवं

तारीख : सबलगढ़

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़  
जिला मुरैना

पृष्ठांकन क्र० 65/अ-82/भू-अर्जन/उ०म०रे०/2018/ सबलगढ़ दिनांक : 29 / 06 / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, परगना कैलारस की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील,कैलारस संबंधित पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में गुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी  
एवं

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़  
जिला मुरैना